

श्री बालमुरुगन डी०, मा.प्र.से., जिलाधिकारी, जहानाबाद के द्वारा दिनांक 26.05.2012 को बाल विकास परियोजना कार्यालय, हुलासगंज का किये गये निरीक्षण का निरीक्षण टिप्पणी :

परिचय:-

बाल विकास परियोजना कार्यालय, हुलासगंज (जहानाबाद) वर्ष- 2006-07 की स्वीकृत ग्रामीण परियोजना है। यह जिला मुख्यालय से 25 किमी० की दूरी पर पंचायत भवन सुरजपुर, प्रखण्ड- हुलासगंज में संचालित है।

इस परियोजना में कुल 77 औंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं जिसमें से 69 औंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं, दो को छोड़ कर शेष पर सेविका / सहायिका का चयन की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।

पदाधिकारी की स्थापना:-

क्र.	पदाधिकारी का नाम	पदनाम	पदस्थापन अवधि
01.	श्रीमती आभा भारद	बाल विकास परिऽ पदा०, घोसी	07.03.07 – 07.05.2008
02.	श्रीमती सोनिका मदिलवार	बाल विकास परिऽ पदा०, हुलासगंज	07.05.08 – 29.11.2008
03.	श्री रमेशचन्द्र चौधरी	प्रखण्ड विकास पदा०, हुलासगंज	28.11.03 – 06.01.2009
04.	श्रीमती सोनिका मदिलवार	बाल विकास परिऽ पदा०, हुलासगंज	06.01.09 – 23.03.2010
05.	श्री रमेशचन्द्र चौधरी	प्रखण्ड विकास पदा० हुलासगंज	23.03.10 – 15.04.2010
06.	श्रीमती विभा कुमारी	बाल विकास परिऽ पदा०, घोसी	15.04.10 – 18.06.2010
07.	श्रीमती अर्चना कुमारी	बाल विकास परिऽ पदा०, मोदनगंज	18.06.10 – 04.08.2010
08.	श्रीमती राणिका मदिलवार	बाल विकास परिऽ पदा०, हुलासगंज	04.08.10 – 03.02.2011
09.	श्रीमती विभा कुमारी	बाल विकास परिऽ पदा०, घोसी	04.02.11 – 11.02.2011
10.	श्रीमती अर्चना कुमारी	बाल विकास परिऽ पदा०, मोदनगंज	11.02.11 – 10.06.2011
11.	श्रीमती सोनिका मदिलवार	बाल विकास परिऽ पदा०, हुलासगंज	10.06.11 – 05.12.2011
12.	डा० श्रीमती रशिम वर्मी	बाल विकास परिऽ पदा०, हुलासगंज	05.12.11 – त्रि.

परियोजना में स्वीकृत एवं कार्यरत पदों की स्थिति:-

क्रमांक	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिवॉल्वर
01.	बाल विकास परिऽ पदा०	01	01	00
02.	साखिकी सहायक	01	01	00
03.	महिला पर्यवेक्षिका	03	03	00
04.	लिपिक-सह-टंकक	01	01	00
05.	कार्यालय परिचारी	01	01	00

पदस्थापित कर्मियों की स्थिति:-

क्र.	कर्मी का नाम	पद	पदस्थापन की तिथि एवं स्थानान्तरित पत्राक दिनांक से कार्यरत	इससे पूर्व पदस्थापन का स्थान	भौद्धिक योग्यता	विवर	दृष्टि	जाती
01.	डा० रशिम वर्मी पति- राजीव रंजन प्रसाद	पदा०	05.12.2011	विजयपुर	एम० एड०	विवर नहीं	विवर नहीं	जाती

०२	मो० तोहीद आलम पिता- स्व० हफीजउद्दीन, ग्राम- महादेव दिघी, पो०+भास्ता- सोनंथा, जिला- किशनगंज	विधिक सह- टक्के	29.06.2009 निदेशक आई०सी०टी०एस० बिहार पटना का पत्रांक 1825, दिनांक 18.06. 2009	दिघल वंक	बी०एस०सी० रसायन विज्ञान प्रतिष्ठान			
०३	श्रीमती सीमा कुमारी पति- सुनिल कुमार वर्मा, ग्राम- धोरी, पो०- शकुराबाद, जिला- जहानाबाद	सरिदा ५० पर्यं	13.07.2011 जिला पदाधिकारी जहानाबाद के ज्ञापांक- ५१४/जि० प्र० दिनांक- 11.07.2011	प्रथम पदस्थापन	₹५० ५०			30.04.2022
०४	सुश्री रमेश कुमारी पिता- अजित कुमार, ग्राम- पंच मुहुल्ला मेन रोड, जहानाबाद	सरिदा ५० पर्यं	15.07.2011 जिला पदाधिकारी जहानाबाद के ज्ञापांक- ५१४/जि० प्र० दिनांक- 11.07.2011	प्रथम पदस्थापन	₹५० ५०			
०५	श्रीमती अनमिका पति- अजित कुमार, गौघरी, ग्राम-पो०- ठकरा, मखदुमपुर, जहानाबाद	सरिदा ५० पर्यं	20.01.2012 जिला पदाधिकारी जहानाबाद के ज्ञापांक- ०५५०/जि० प्र० दिनांक- 17.01.2012	प्रथम पदस्थापन	₹५० ५०			
०६	श्री सोनू लाल गुप्ता पिता- स्व० बुलकन साव, ग्राम- मखदुमपुर डिह, पो०- मखदुमपुर, जिला- जहानाबाद	सार्थिकी सदायक	04.05.2012 जिला प्रोग्राम पदाधिकारी जहानाबाद के ज्ञापांक- ६८६, दिनांक- 02.05.2012	प्रथम पदस्थापन	बी०एस०सी० गणित प्रतिष्ठान			
०७	गो० नेशार आलम पिता- मो० आशिक हुसीन, ग्राम- कान्दर, पो०- सागरपुर, आना- मखदुमपुर, जिला- जहानाबाद	दाटा ऑपरेटर	16.08.2011 प्रभारी, मानव संसाधन बिहार स्टेट इलैक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिंि के पत्रांक- एम.पी. -३७३६/११ दिनांक- 11.07.2011	प्रथम पदस्थापन	आई०स०सी० सी०टी०टी०री० ० सी०सी०एन०ए० (पटना)			
०८	श्रीमती अगिता देवी पति-स्व०द्वारिका प्रसाद, ग्राम- अम्बेदकर, पो०+आना-जि०- जहानाबाद	कार्यालय परिचारी	03.10.2009 निदेशक आई०सी०टी०एस० निदेशालय बिहार, पटना के ज्ञापांक- २५०० दिनांक- 22.09. 2009 एवं २४२८ दिनांक- 03.09.2010	बिहार राज्य कृषि विषय पश्चिम विधिरत कार्यालय से संबंधित	पंचम वर्ग			
						21.04.77	30.04.2037	
						अनुसूचि डोग	प्रियंका मोनि युस्तिन	प्रियंका डोगी कोयरी गान्धी

५. सेविका एवं सहायिका की स्थिति:-

बाल विकास परियोजना कार्यालय, हुलासगंज के अन्तर्गत कुल-77 औंगनबाड़ी केन्द्र रखीकृत हैं, जिसमें से 69 संचालित हैं। औंगनबाड़ी सेविका/सहायिका की स्थिति निम्न हैं:-

क	पदनाम	स्वीकृत	चयनित		रिक्त	प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित	अभ्युक्ति
			कार्यस	नव-चयनित				
१	२	३	४	५	६	७	८	९
०१.	सेविका	७७	६५	१०	०२	६५	१०	१ हुलासगंज ५०, में चयन परिक्षा पूरी नहीं हो पाई है।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हुलासगंज को निदेश दिया गया कि दो रिक्त संधिका का चयन नियमानुसार करना सुनिश्चित करेंगी।

(अनुपालन : बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हुलासगंज)

6. आगत पंजी:-

आगत पंजी संधारित है एवं अद्यतन है।

क्र0	वर्ष	आगत पत्रों की संख्या
1	2012	165

7. निर्गत पंजी:-

निर्गत पंजी संधारित है एवं अद्यतन है।

क्र0	वर्ष	आगत पत्रों की संख्या
1	2012	250

8. जन-शिकायत पंजी:-

पंजी संधारित एवं अद्यतन है। पंजी के अवलोकन के क्रम में यह पाया गया कि एक ही पंजी में राभी प्रकार के जन शिकायत की प्रविष्टी की गई है, जिसके कारण शीर्षवार रामीक्षा नहीं को जा सकी। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हुलासगंज को निदेश दिया गया कि अलग-अलग पंजी संधारित कर प्राप्त जन शिकायत को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करना सुनिश्चित करेंगी। साथ ही निम्न प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगी।

क्र0	शीर्ष	प्राप्त	निष्पादित	शेष
1	मुख्य सचिव का जन शिकायत			
2	आयुक्त जन शिकायत			
3	जिला पदाधिकारी का जन शिकायत			
4	अनुमंडल जन शिकायत			

(अनुपालन : बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हुलासगंज)

9. सूचना का अधिकार पंजी:-

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पंजी संधारित है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी हुलासगंज के द्वारा बताया गया कि कोई मामला लम्बित नहीं है। प्रतिवेदन की मांग छिपे जाने पर उपलब्ध नहीं कराया जा सका। निदेश दिया गया कि निम्न प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगी।

क्र०	वर्ष	प्राप्त	निष्पादित	लम्बित
1	2012			

(अनुपालन : बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हुलासगंज)

10. वार्डवार केन्द्र का संचालन:-

ऑगनबाड़ी केन्द्रों के वार्डवार संचालन के लिए तैयारी के संबंध में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से पूछे जाने पर उनके द्वारा बताया गया कि सभी वार्डों को चिह्नित कर सूची और मैपिंग तैयार कर ली गयी है। निरीक्षण के दौरान पंचायत खुदौरी के वार्ड नो 11 के मलहचक ऑगनबाड़ी केन्द्र के मैपिंग की जाँच करने पर पाया गया कि एक पेज में 107 तक किया गया है, 108 दूसरे पेज से प्रारम्भ किया गया है, जबकि पहले पेज में प्रविष्टी हेतु जगह उपलब्ध थी। इसमें कुल 219 परिवारों का जिक्र किया गया है, जो उस पोषक क्षेत्र में आते हैं। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हुलासगंज के द्वारा बताया गया कि यह मैपिंग पूर्व के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा किया गया है। निदेश दिया गया कि सभी ऑगनबाड़ी केन्द्रों के लिए तैयार की गई मैपिंग को पंचायत Voter list - 2011 से मिलान कर सत्यता की जाँच कर ले।

(अनुपालन : बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हुलासगंज)

11. ऑगनबाड़ी भवन की स्थिति:-

ऑगनबाड़ी भवनों के संबंध में प्रतिवेदन की मांग किये जाने पर उनके द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया। उनके द्वारा भवनों की स्थिति निम्न प्रकार बताई गई।

आई.ए.पी.	रा.स.वि.यो.	13वीं वित्त	नवार्ड	सर्वे शिक्षा	कुल
28	03	06	04	1	42

कुल 77 ऑगनबाड़ी केन्द्रों के अभी जिन भवनों में संचालित हो रहे हैं, उन भवनों के संबंध में विभाग रो प्राप्त प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हुलासगंज को दिया गया।

(अनुपालन : बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हुलासगंज)

12. माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित पंजी:-

कुल बाद संख्या	निष्पादित	लम्बित
1	2	.3
03	02	01

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को एक लम्बित मामले को शीघ्र निष्पादन करने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि जिला विधि शाखा, जहानाबाद से माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित मामलों की सूची का मिलान करना सुनिश्चित करेंगी।

(अनुपालन : बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हुलासगंज)

सेवापुरत पंजी:-

सेवापुरत के संबंध में पूछे जाने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि सभी कर्मियों का सेवापुरत संधारित नहीं है। निदेश दिया गया कि सभी सेवापुरतों को संधारित एवं अद्यतन करना सुनिश्चित करेंगी ताकि किसी भी कर्मि को सेवापुरत के संबंध में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

(अनुपालन : बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हुलासगंज)

समान्य भविष्य निधि पंजी:-

रामान्य भविष्य निधि पंजी संधारित एवं अद्यतन है। निदेश दिया गया कि सामान्य भविष्य निधि पासबुक को अद्यतन रखना सुनिश्चित करेंगी।

(अनुपालन : बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हुलासगंज)

उपस्थिति:-

संधारित एवं अद्यतन है।

वेतन भरपाई पंजी:-

संधारित है।

अवकाश पंजी:-

कार्यालय कर्मचारियों का अवकाश पंजी संधारित है। सेविका / सहायिका का अवकाश पंजी संधारित है। निदेश दिया गया कि सभी कर्मियों के अवकाश को नियमित रूप से अवकाश पंजी में प्रविष्टी करवाना सुनिश्चित करेंगी तथा किसी भी स्थिति में कोई भी कर्मी बिना अवकाश रखीकृति के अवकाश में न रहें, ये सुनिश्चित करायेंगी।

(अनुपालन : बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हुलासगंज)

अनुकमणी पंजी:-

अनुकमणी पंजी संधारित है।

रक्षी संचिका :-

रक्षी संचिका में महत्वपूर्ण पत्रों को संकलित किया गया है।

कर्तव्य तालिका:-

संधारित है।

निरीक्षण पंजी:-

संधारित है।

22. सेविका / सहायिका का डाटा बेस:-

सेविका / सहायिका का पंचायतवार सूची तैयार की गई है। जिसमें पंचायत के मुखिया का नाम, मोबाईल नं० / महिला पर्यवेक्षिका का नाम, मोबाईल नं० / सेविका का नाम, मोबाईल नं० एवं सहायिका का नाम, मोबाईल नं०, योगदान की तिथि, ए०एन०एम० का नाम एवं मोबाईल नम्बर अंकित किया गया है। यह सूची सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जहानाबाद जिला भी तैयार करना सुनिश्चित करें। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जहानाबाद इस कार्य को अपने पर्यवेक्षण में पूर्ण करवाना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जहानाबाद / सभी बाल विकास परियोजना पदा., जहानाबाद जिला)

23. मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना :-

प्रत्येक केन्द्र से प्राप्त आवेदन को इस पंजी में संधारित किया जाता है। अद्यतन है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में लक्ष्य के विरुद्ध 600 आवेदन यूटीआई को भेजा जा चुका है। जिसमें 252 बॉण्ड प्राप्त कर लिया गया है एवं पंचायतवार सूची संलग्न है। वर्ष 2011–12 के सूची का अदलोकन करने के दौरान पाया गया कि कई सेविकाओं के द्वारा एक भी आवेदन प्राप्त नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर

क्र०	पंचायत का नाम	सेविका का नाम	केन्द्र का नाम	कोड संख्या	प्राप्त आवेदन
1	चीरी	आमा कुमारी	गिंजी	74	0
2	बौरी		गिदरपुर	37	0
3	बौरी	वीरमला कुमारी	केवला	38	0
4	सुरजपुर	संगीता कुमारी	लोदीपुर	62	0
5	खुदौरी			27–34	0

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हुलासगंज को निदेश दिया गया कि सभी सेविका को लक्ष्य निर्धारित कर मासिक बैठक में इसकी समीक्षा करना सुनिश्चित करेंगी। साथ ही केन्द्रवार / वर्षवार प्रारम्भ से अब तक कुल कितना आवेदन प्राप्त किये गये, कितना का बांड प्राप्त हुआ तथा कितना लम्बित हैं का प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी। साथ ही अब तक कुल कितना आवेदन परियोजना कार्यालय में जमा हुआ, कितना का बांड प्राप्त हुआ तथा कितना शेष है, का भी प्रतिवेदन दें। जिन ऑगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा एक भी आवेदन प्राप्त नहीं किये गये हैं, उन सेविकाओं से स्पष्टीकरण प्राप्त कर इसमें प्रगति लाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगी।

(अनुपालन : बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हुलासगंज)

पोषाहार योजना:-

माह के 25 तारीख तक सभी ऑग्नबाड़ी केन्द्रों से अभिश्रव प्राप्त कर लिया जाता है तथा 30 तारीख तक विपत्र कोषागार में भेज दिया जाता है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हुलासगंज के द्वारा बताया गया कि वित्त वर्ष-2012-13 में आवंटन अप्राप्त है। स्थायी अग्रिम पोषाहार की राशि से मई, 2012 तक के राशि संचालित केन्द्रों को दी गयी है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जहानाबाद आवंटन हेतु विभाग से पत्राचार करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हुलासगंज)

पोशाक योजना:-

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हुलासगंज के द्वारा बताया गया कि सभी केन्द्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा के 03-06 वर्ष के 40 बच्चों को पोशाक की राशि का वितरण किया गया है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हुलासगंज को निदेश दिया गया कि सभी सेविकाओं को अपने-अपने केन्द्रों पर बच्चों को पोशाक में आने के लिए उनके अभिभावकों एवं बच्चों में जागरूकता लाने के लिए निदेशित करें। क्योंकि केन्द्रों का निरीक्षण करने के दौरान पाया जाता है कि अधिकांश बच्चे पोशाक में केन्द्र नहीं आते हैं। बच्चों को पोशाक में आने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगी।

(अनुपालन : बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हुलासगंज)

सेविका / सहायिका यूनिफॉर्म:-

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हुलासगंज के द्वारा बताया गया कि संचालित केन्द्रों की सेविका सहायिका को यूनिफॉर्म की राशि उनके खाता में भेज दी गयी है। बैच के लिए भी राशि उपलब्ध है, परन्तु मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होने के कारण इसे उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जहानाबाद को निदेश दिया जाता है कि बैच के लिए जो राशि प्राप्त हुए हैं, उसे सेविका एवं सहायिका को आई-कार्ड बनवाकर निर्गत करना सुनिश्चित करेंगी। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जहानाबाद सुनिश्चित करायेंगे।

(अनुपालन : जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जहानाबाद / सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जहानाबाद जिला)

प्रतिरक्षण एवं अन्य सेवा:-

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि सभी केन्द्रों पर प्रतिरक्षण कार्य एनोएमो की सहायता से निर्धारित दिवस को किया जाता है। निदेश दिया गया कि टीकाकरण के दिन सभी लाभार्थियों को टीकाकरण का लाभ हो इसे सुनिश्चित करायेंगी तथा मासिक बैठक में इसकी समीक्षा भी करेंगी ताकि कोई भी लाभार्थी टीकाकरण से वंचित न हो सके।

(अनुपालन : बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हुलासगंज)



28. कम्पयूटर:-

लैपटॉप एवं प्रिंटर टाटा ऑपरेटर के साथ उपलब्ध है, एवं कार्यरत है। ऑन लाइन प्रतिवेदन भेजने के लिए जिस मासिक प्रगति प्रतिवेदन को केन्द्रों से प्राप्त किया जाता है, उसमें से अप्रैल, 2012 माह का केन्द्र संख्या 55, 60 एवं 25 का अवलोकन करने के दौरान पाया गया कि प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त है तथा इसे ऑन लाइन किया गया है, परन्तु इस प्रतिवेदन में जन्म एवं मृत्यु का ऑकड़ा शून्य दर्शाया गया है, जो कहाँ संभव नहीं है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हुलासगंज को निदेश दिया गया कि ऑन लाइन के लिए प्राप्त होने वाले मासिक प्रगति प्रतिवेदन में जन्म एवं मृत्यु का ऑकड़ा पर विशेष ध्यान दें तथा इसे मासिक बैठक में निश्चित रूप से समीक्षा करेंगी।

(अनुपालन : बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हुलासगंज)

29. भंडार पंजी:-

भंडार पंजी संधारित एवं अद्यतन है।

30. आँगनबाड़ी सेविका की मासिक बैठक पंजी:-

संधारित है, अंतिम बैठक दिनांक— 24.04.12 पंजी में दर्ज है।

31. महिला पर्यवेक्षिका की सप्ताहिक बैठक पंजी:-

संधारित है। अंतिम बैठक दिनांक— 21.05.12 को हुई है।

32. पोषाहार अग्रिम पंजी:-

संधारित है।

33. वाहन लौग बुक:-

वाहन लौग बुक संधारित एवं अद्यतन है। दिनांक— 24.04.12 तक अद्यतन है।

34. मॉडल केन्द्र:-

प्रत्येक पंचायत में एक-एक मॉडल केन्द्र का चयन किया गया है।

क्रमांक	पंचायत	केन्द्र का नाम	कोड सं.
01.	चीरी	चीरी द०	01
02.	मुरगांव	नन्दन बिगहा	10
03.	कोकरसा	भगवानपुर ऊ०	25
04.	दावथु	लाट	52
05.	तिरा	धवल बिगहा	47
06.	बौरी	डिहुरी	39
07.	सुरजपुर	सुरजपुर	61
08.	केउर	नवगढ	68
09.	खुदौरी	कि जुनपुर	77

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जहानाबाद जिला को निदेश दिया जाता है कि निम्न प्रपत्र में ऑगनबाड़ी केन्द्रों में उपलब्ध सुविधा के संबंध में सर्वे करवाना सुनिश्चित करेंगी।

क्र०	प्रचायत करने का नाम	बार्ड न०	केन्द्र का नाम	भवन की स्थिति (सरकारी / किराया)	पेयजल (रानीग बाटर / चापाकल)	विद्युत
1	2	3	4	5	6	7
क्र०	शौचालय	किंचेन	वेइंग मशीन	स्टोरेज ब्रम की संख्या	डिसप्ले बोर्ड	मेनु पेटिंग
1	8	9	10	11	12	13
क्र०	लाभार्थी का रूची	रूटिन पेटिंग	केन्द्र का बोर्ड	प्लेटो की संख्या	चम्मच की राख्या	अन्य दर्तनों की संख्या
1	14	15	16	17	18	19

(अनुपालन : सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जहानाबाद जिला)

35. कार्यालय भंडार की स्थिति:-

क्रमांक	समान का नाम	संख्या
01.	टेबुल	04
02.	कुर्सी	12
03.	अलमीरा बड़ा	02
04.	अलमीरा छोटा	01
05.	दरी बड़ा	02
06.	स्टूल	02
07.	बेंच	01
08.	रैक स्टील	04
09.	पंखा	01
10.	नोटीस बार्ड	01
11.	घड़ी	01
12.	बालटी	02
13.	स्टील वक्सा	01

36. अंकेक्षण:-

इस कार्यालय का अंकेक्षण नहीं हुआ है।

डी०सी० विपत्र:-

क्र.	ए०सी० विपत्र की राशि	डी०सी० विपत्र की राशि	शेष लंबित राशि	अम्युवित
1	2	3	4	5
	22906588/-	9934138/-	12972450/-	शेष लंबित राशि की डी०सी० विपत्र

रोकड़ बही:-

मुख्य रोकड़ बही एवं सहायक रोकड़ बही संधारित है।

38. मदवार विवरणी:-

24.05.2012 की मदवार विवरणी:-

क्रमांक	मद का नाम	राशि
01.	पोषाहार स्थायी अग्रिम	2315725/-
02.	मानदेय	103870/-
03.	दुलार से मुस्कान	202806/-
04.	केन्द्र एवं कार्यालय किराया	150000/-
05.	डाटा सेन्टर	31128/-
06.	कम्प्युटर संधारण हेतु	9000/-
07.	कविता/कहानी पुरस्कार	4000/-
08.	रकूल पूर्व शिक्षा किट्स	46000/-
09.	दूरभाश मद	6011/-
10.	झुलन सप्ताह	2000/-
11.	रोविका/सहायिका यूनिफार्म	16000/-
12.	कन्या सुरक्षा कार्यालय व्यय	1500/-
13.	आंगनबाड़ी केन्द्र अकास्मिकता	40200/-
14.	फलैक्सी फण्ड	69000/-
15.	इन्टरनेट	725/-
16.	सुद की राशि	93379/-
कुल-		3091344/- (तीस लाख इकानवे हजार तीन सौ चौबाली)

- फलैक्सी फण्ड में 69000/- राशि उपलब्ध है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हुलासगंज को निदेश दिया गया कि इस मद की राशि से सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में परियोजना कार्यालय में उपलब्ध फलैक्सी के नमुने को ही उपलब्ध करायेंगे, उसमें यह भी सुनिश्चित करायें कि टी.एच.आर. दिवस के दिन किस वर्ग को कितना पोषाहार दिया जाना है तथा प्रतिदिन उपलब्ध कराये जाने वाले भोजन संबंधी मेनु को भी अकित करायेंगे।

(अनुपालन : बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हुलासगंज)

39. 24.05.2012 का वित्तीय रख-रखाव:-

हाई रिस्क मंदर सूची :— हाई रिस्क मंदर सूची की मांग किये जाने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे स्पष्ट है कि इस सूची को अब तक तैयार नहीं किया गया है, जबकि इस सूची को तैयार कराने के लिए पूर्व में कई बार बैठक में निदेश दिये जा चुके हैं। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हुलासगंज को निदेश दिया गया कि अविलम्ब इस सूची को तैयार कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी।

(अनुपालन : बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हुलासगंज)

41. **पंजियों का संधारण** :— निदेशालय से पंजियों के संधारण के संबंध में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से पूछे जाने पर बताया गया कि इनका संधारण नहीं किया जा रहा है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जहानाबाद को निदेश दिया जाता है कि वे निदेशालय, पटना से प्राप्त सूची जिसे संधारित किया जाना है, उसे सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को उपलब्ध करायें तथा यह सुनिश्चित करायेंगे कि उसका अनुपालन हो।

(अनुपालन : जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जहानाबाद / सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जहानाबाद जिला)

42. **सेविका का वर्गीकरण** :— सेविका वर्गीकरण की सूची मांगे जाने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हुलासगंज के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। कार्यालय में यह सूची उपलब्ध नहीं थी, जबकि इसे तैयार करने हेतु पूर्व में निदेश दिया जा चुका है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया सेविकाओं का वर्गीकरण करते हुए उसकी सूची कार्यालय में रखना सुनिश्चित करेंगी तथा एक प्रति उपलब्ध करायेंगी।

(अनुपालन : बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हुलासगंज)

43. **सामाजिक अंकेक्षण** :— सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में पूछे जाने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि सभी ऑगनवाड़ी केन्द्रों पर सामाजिक अंकेक्षण करवाया जाता है। निदेश दिया गया कि नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण करवाना सुनिश्चित करेंगी तथा इसका पर्यवेक्षण रवयं भी करेंगी।

(अनुपालन : बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हुलासगंज)

44. **VHSND माईक्रो प्लान** :— VHSND माईक्रो प्लान के संबंध में पूछे जाने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि इसकी प्रति कार्यालय में नहीं है तथा इसे प्राप्त नहीं किया गया है। निदेश दिया गया कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, हुलासगंज से इसकी एक प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर ले।

- यदि कोई केन्द्र इस प्लान में छुटे हुये हैं तो उसे शामिल करने के लिए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से अन्तर्रोध करें।

भी निरीक्षण साथ-साथ हो जायेगा। जिन सेविकाओं के द्वारा टीकाकरण कार्य में राहयोग दिया जाता है, वैसी सेविकाओं के विरुद्ध महिला पर्यवेक्षिका अपने निरीक्षण टिप्पणी के माध्यम से प्रतियेदन देंगी। इस निरीक्षण से एक और फायदा होगा गरीब खासकर महादलित टोल, जो बच्चे टीकाकरण से छुटे हुये हैं, उन लोगों को भी कराया जायेगा तथा एक साल के अंदर जो भी टीकाकरण लगना होता है, वे सभी टीकाकरण निश्चित रूप से उन परिवारों को गिल सकेगा। जिले में अभी भी 100 प्रतिशत टीकाकरण नहीं है। अभी मात्र 77 प्रतिशत ही टीकाकरण हो सका है, जो बचे हुए प्रतिशत हैं, वे सभी गरीब खासकर महादलित परिवार के बच्चे हैं। ऐसी स्थिति में टीकाकरण के दिन छुटे हुए गरीब / महादलित बच्चों को निश्चित रूप से टीकाकरण के लिए उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है तथा उन्हें टीकाकरण का लाभ दिया जाना है।

(अनुपालन : प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, हुलासगंज / बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हुलासगंज)

45. **महिला पर्यवेक्षिकाओं में पंचायत का वर्गीकरण :-** बाल विकास परियोजना कार्यालय, हुलासगंज के अंतर्गत कुल 9 पंचायत हैं। महिला पर्यवेक्षिकाओं की संख्या 03 है। ऐसी परिस्थिति में तीनों को तीन-तीन पंचायत निर्धारित किया जाना चाहिए, परन्तु एक को तीन तथा दो महिला पर्यवेक्षिकाओं को एक पंचायत का आधा-आधा हिस्सा दे दिया गया है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हुलासगंज को निदेश दिया गया कि तीनों महिला पर्यवेक्षिकाओं के बीच तीन-तीन पंचायत का निर्धारण करते हुए अनुपालन सुनिश्चित करायेंगी।

(अनुपालन : बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हुलासगंज)

46. सामान्य निदेश :-

- प्रत्येक ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर छः सेवाये दी जानी है, उन सभी सेवाओं को उपलब्ध कराना।
- ऑगनबाड़ी केन्द्रों में पोषाहार नियमित रूप से देने के लिए लगातार अनुश्रवण करना है। निरीक्षण के रागय महिला पर्यवेक्षिकाओं से चर्चा के दौरान यह बताया गया कि आज के दिन अराल में 25 से 30 बच्चे उपरिथत हो रहे हैं, उसे कैसे सुधार किया जायेगा, उस पर मेहनत करते हुए संख्या बढ़ाकर 40 तक पहुँचाना है।
- जो केन्द्र अच्छी तरह से कार्य नहीं कर रहे हैं, पोषाहार का नियमित रूप से वितरण नहीं किया जाता है, उस केन्द्र के सेविका से पहली चेतावनी देते हुए नियमत: जो राशि अनुपात में कटौती कर वसूलने योग्य है, उसे वसूली करें तथा इसके बावजूद भी प्रगति नहीं होती है तो चयनमुक्त हेतु कार्रवाई करेंगी।

7. हाई रिक मदर की सूची तैयार कर एएनसी. एवं पीएनसी. आशा कार्यक्रम एवं एएनएम के माध्यम से कराकर राष्ट्रीय मृत्यु दर कम करने में मदद करना।
8. महिला पर्यवेक्षिकाओं के द्वारा अपेक्षित पर्यवेक्षण करना, उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये निरीक्षण प्रतिवेदन पर यथोचित कार्रवाई करना।
9. गहिला पर्यवेक्षिकाओं के द्वारा मोपेड वाहन का प्रयोग करना तथा ऑगनबाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण के क्रम में अपने रिश्तेदारों यथा भाई/ पति एवं अन्य परिवार को साथ में नहीं ले जायेंगी।
10. ऑन लाईन इंट्री को प्रत्येक माह के 08वीं तिथि तक कर लेना है।
11. ऑगनबाड़ी केन्द्रों में सफाई की समुचित व्यवस्था कराना।
12. बच्चों में खाने के पूर्व हाथ धोने की आदत लगाना।
13. राघी नवनिर्मित भवनों में दीवाल का रंग—रोगन कराना। अंदर एवं बाहर में 4 फीट Dark Paint कराना एवं उसी के हल्के रंग में उपर रंगाई कराना। बच्चों को आकर्षित करने के लिए दिवाल पर A, B, C, D पेंट कराना एवं अन्य आकृति का निर्माण कराना।
14. बच्चों के लिए खिलौना आदि केन्द्र में रखना, जिससे आकर्षित होकर बच्चे केन्द्र आयें।
15. लाभान्वितों की सूची को केन्द्र में अकित करवाना।
16. केन्द्र के बाहर केन्द्र का सु—स्पष्ट बोर्ड लगवाना।

(अनुपालन : बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हुलासगंज)

जिलाधिकारी, जहानाबाद।

ज्ञापांक 1044 /गो, जहानाबाद दिनांक 29 वी मई, 2012

प्रतिलिपि : भूमि सुधार उप समाहर्ता, जहानाबाद—सह—प्रखण्ड प्रभारी, हुलासगंज / जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जहानाबाद/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, हुलासगंज/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जहानाबाद जिला एवं अन्य सभी संबंधितों को सूचनाथं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।